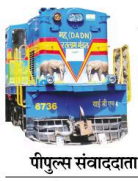

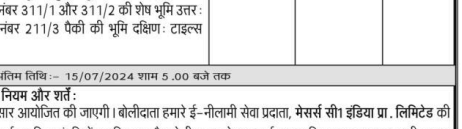

~~ग्रीन~~ विकास बेल्ट

कितने पेड़ होंगे ट्रांसप्लांट... निगम अधिकारियों को ये भी नहीं पता

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

शहर में मेट्रो निर्माण कार्य के लिए बाधक पेड़ों को हटाने की जिम्मेदारी मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने नगर निगम को दी है। बुधवार को मेघदूत गार्डन के पास मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए ग्रीन बेल्ट में हरे-भरे पेड़ काटे गए। इसी तरह रेडिसन चौराहे पर पहले ही ग्रीन बेल्ट से पेड़ काटे जा चुके हैं। निगम का अमला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के 51 लाख पौधे लगाने के अभियान को सफल बनाने में जुटा है, लेकिन मेट्रो के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनका क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अधिकारियों का सीधा कहना है कि बाधक पेड़ों को हटाने के लिए निगम ही हमारे पास एजेंसी है, जो पेड़ों की छंटाई के साथ उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकती है।

पांच स्टेशन बनाने के लिए उजाड़ी हरियाली

बधुवार को दिनभर पेड़ों को काटे जाने पर हल्ला मचता रहा, लेकिन निगम के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यह तक नहीं बता सके कि मेट्रो निर्माण के लिए कुल कितने पेड़ बाधक हैं, इनमें से कितने पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे। वहीं दूसरी ओर मेट्रो का रेडिसन, विजय नगर, मेघदूत गार्डन, सुखलिया, हीरानगर स्टेशन बन चुका है। सभी के पहुंच मार्ग के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन उपयोग होगी। यहां प्रत्येक स्टेशन के पास से 300 मीटर हिस्से से पेड़ हटाए जाएंगे। इधर, पर्यावरणविद् का कहना है कि गर्मी के मौसम में पेड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है।

> मेट्रो निर्माण में कितने पेड़ बाधक इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है। निगम की अनुमति से पेड़ हटाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास पेड़ों को बचाने का है। आने वाले बारिश के मौसम में ट्रांसप्लांट करेंगे।
>
> **-शिवम वर्मा, निगमायुक्त**

> इंदौर में कोई पेड़ नहीं कटेगा। हम पेड़ काटने की अनुमति नहीं देंगे। केवल पेड़ छंटाई की अनुमति होगी।
>
> **- पुष्यमित्र भार्गव, महापौर**

> अगस्त का मौसम पेड़ ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त है। गर्मी के दिनों में पेड़ को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। उसके जीने की उम्मीद 10 प्रतिशत भी नहीं होती।
>
> **-डॉ. ओपी जोशी, पर्यावरणविद्**

> कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। मेघदूत पार्क के ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़ों की ट्रीमिंग की गई है। बारिश में पिंक सिटी के पास आईडीए की जमीन के पास ट्रांसप्लांट होंगे।
>
> **-लोकेश कुमार, उद्यान दरोगा, झोन 7**

कैसे लगाएं पेड़ | लाख गड्ढे रोज खोदने का दावा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

इंदौर में 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे रेवती रेंज की पहाड़ियों पर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन डेढ़ लाख गड्ढे खोदने का दावा किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौरवासियों के साथ मिलकर एक सप्ताह में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों के लिए वीडियो भी जारी किया, जिसमें बताया कि पौधा लगाना भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। केवल गड्ढे में पौधा डालना पौधारोपण नहीं है। विजयवर्गीय ने बताया कि पौधे प्लास्टिक बैग में होते हैं, लगाने से पहले उसकी पॉलिथीन निकालना भी एक तकनीक है।

1. पॉलिथीन को कटर से काटा जाए, यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें नहीं कटें, पॉलिथीन एक छोर से काटी जानी चाहिए, इसके बाद इसको पूरी तरह पौधे से अलग करें। गड्ढा अधिक बड़ा नहीं हो, जितनी जड़ें हैं, उसी हाईट का गड्ढा किया जाए।
2. पौधे को धीरे से गड्ढे में रखें, इसके बाद गोबर की खाद और मिट्टी को पौधे की जड़ों में डालें, धीरे-धीरे मिट्टी में पौधे की पूरी जड़ को दबा दें।
3. पौधा लगाने के बाद पानी दें, यदि पौधे के पास सहारा नहीं हो तो किसी लकड़ी से उसको सहारा देते हुए बांधें, ताकि तेज हवा-आंधी वो सहन कर सकें।
4. पौधा लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल करें, पानी-खाद और प्रकाश का ध्यान रखें।

मां के नाम पौधा लगाएं

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 50 रुपए में मां के नाम पौधा लगा सकते हैं। यदि आपकी मां दुनिया में नहीं है तो उनके नाम पर एक पेड़ लगाएं और यदि है तो अपनी मां को साथ लेकर आएं और एक पेड़ लगाएं। इसके साथ ही सभी समाज अपने समाज के नाम पर 5, 10, 15, 20 हजार पौधे लगा सकते हैं। जहां पौधे लगाए जाएंगे उस क्षेत्र को समाज का नाम दिया जाएगा।

पातालपानी का झरना... राइट टाइम हेरिटेज ट्रेन...बारिश के चलते डिले

मुख्यालय ने दिए रैक का मेंटेनेंस करने के निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584691000

इंदौर में अभी तक भले ही मानसून नहीं आया हो और प्री मानसून बारिश ने भी शहर को ठीक से नहीं भिगोया हो, लेकिन पड़ोस के उपनगर महू में तो बारिश हो गई है और पातालपानी का झरना भी बह निकला है, लेकिन अब तक कालाकुंड से पातालपानी के बीच चलने वाली प्रदेश की इकलौती हेरिटेज ट्रेन नहीं चली है। अब इसके जुलाई अंत से चलने की संभावना है। हालांकि रेलवे ने इसके रैक के मेंटेनेंस करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। रेलवे ने कुछ साल पहले इस सेवा को शुरू किया था। रतलाम रेल मंडल द्वारा इंदौर से पातालपानी के बीच चलाई जाने वाली हेरिटेज ट्रेन इस सीजन में कब शुरू होगी इसे लेकर अब तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। रेलवे द्वारा मानसून सीजन में इसे रोजाना और नवंबर से मार्च के बीच में इसे शनिवार और रविवार को चलाया जाता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार इस ट्रेन को जुलाई तक तो चलाना बड़ा मुश्किल है और उसके बाद अगले महीने अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही यह ट्रेन शुरू हो पाएगी। हालांकि अगस्त में भी हेरिटेज शुरू हो जाएगी इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। बीते साल फरवरी में महू से मीटर गेज लाइन खत्म होने के बाद अब हेरिटेज ट्रेन का संचालन पातालपानी से कालाकुंड के बीच किया जाता है। हालांकि महू का काम पूरा होने के बाद इसे इंदौर से भी चलाए जाने की संभावना है।

सागर जिले की बस हड़ताल को इंदौर ऑपरेटरों का समर्थन

इंदौर। सागर शहर के जिला प्रशासन ने शहर से 12 किमी दूर नया बस स्टैंड बनाकर यात्रियों की परेशानी बढ़ाई है। इसके विरोध में वहां के बस संचालक बीते 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। मांगें नहीं मानने पर पूरे प्रदेश में हड़ताल की चेतावनी दी गई है। एसो. के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि अब सागर के यात्रियों को वहां के पुराने बस स्टैंड से 12 किमी दूर नए बस स्टैंड से यात्री बसों से यात्रा करनी पड़ेगी। सागर जिले के 600 से अधिक बसों के मालिकों एवं शहर के सामाजिक, व्यापारिक संगठनों ने विगत 6 दिवस से बसों का संचालन बंद कर रखा है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिना बात किए भी दर्ज हो रही विद्युत संबंधी शिकायतें, समाधान भी

इंदौर। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं की शिकायतों के उचित एवं सर्वमान्य तरीके से निराकरण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी कारण सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण में भी कंपनी प्रदेश स्तर पर अव्वल बनी हुई है। विद्युत आपूर्ति व अन्य विषयों से संबंधित शिकायतें केंद्रीयकृत 1912 व स्थानीय कॉल सेंटर पर फोन के माध्यम से दर्ज हो रही है। बिना बात किए भी शिकायतें ऊर्जस एप, इंटरेक्टिव वाइस रिस्पांस, सोशल मीडिया, वाट्सएप के माध्यम से दर्ज हो रही है। सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण भी किया जा रहा है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान इंदौर सहित 15 जिलों से आईवीआर पर 2 हजार, ऊर्जस एप पर 550, सोशल मीडिया पर 11, वाट्सएप नंबरों पर 6 उपभोक्ताओं से पूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी का समाधान भी किया गया।

ई-रिक्शा चालकों ने किया थाने का घेराव

इंदौर। टाटा मैजिक के चालकों द्वारा ई-रिक्शा चालकों से वसूली का आरोप लगाकर रिक्शा चालकों ने थाने का घेराव किया। इंदौर ई-रिक्शा चालक महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इलाके में 100 से अधिक रिक्शा चालक अपना जीवन-यापन करते हैं। पिछले दो महीने से मांगलिया से पाटनीपुरा की सवारी लाने-ले जाने में हमें परेशानी हो रही है। टाटा मैजिक के आपराधिक प्रवृत्ति के ड्राइवर हमें धंधा करने नहीं दे रहे हैं। हमसे जबरन वसूली करते हैं। वे लोग रिक्शा में सवारी तब ही बैठने देते हैं, जब तक उन्हें 10 रुपए नहीं दो। ऐसा नहीं करने पर सवारी को गाड़ी से उतार देते हैं। हम मारपीट की रिपोर्ट करवाने लसूड़िया थाने भी जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया : राघवेन्द्र

फिर एक बार मोदी सरकार
भारतीय जनता पार्टी, इंदौर महानगर

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584691000

भाजपा कार्यालय पर बुधवार को भाजपा जिला इंदौर की अहम बैठक हुई। बैठक में संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को जनता को यह बात बतानी होगी।

बैठक को संबोधित करते हुए गौतम ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये रिकॉर्ड हमने स्थापित किया है। आगामी सहकारी चुनाव में भी हमें इतिहास रचना है। इसके लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश संगठन की बैठक में इंदौर लोकसभा में ऐतिहासिक विजय पर इंदौर के कार्यकर्ताओं की तारीफ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने की है। इंदौर के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव की चर्चा पूरे देश में होती है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाई है, उसी भाव के साथ अब सहकारिता चुनाव में भी इंदौर जिले से कांग्रेस मुक्त सहकारी संस्थाओं के लिए जुट जाएं। बैठक में जिला प्रभारी रायसिंह सेंधव, गोपालसिंह चौधरी, कंचनसिंह चौहान, सुभाष चौधरी, देवराजसिंह परिहार, उमानारायण पटेल आदि मौजूद थे।

इंडिगो ने फिर निरस्त की दिल्ली उड़ान

इंदौर। इंडिगो से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को बीते कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने बुधवार को अपनी दिल्ली उड़ान को एक बार फिर से निरस्त कर दिया। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की उड़ान (6ई-2208) दिल्ली से रात 8.40 बजे उड़ान भरकर रात 9.55 बजे इंदौर आती है, लेकिन बुधवार को कंपनी ने इस उड़ान को निरस्त कर दिया। कंपनी ने इसे ऑपरेशनल कारणों से उड़ान को निरस्त करने की बात कही है। प्रबंधन का कहना था कि जानकारी पूर्व में ही यात्रियों को देते हुए उन्हें रिफंड और रिबुकिंग का विकल्प दिया गया था, जिससे यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ा।

न्याय नगर के रहवासियों को जमीन खाली करने के नोटिस

विधायक के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे रहवासी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

रेडिसन चौराहे के पास न्याय नगर के सैकड़ों रहवासियों को उनके घर और प्लॉट खाली करने के नोटिस मिलने लगे हैं, क्योंकि न्याय नगर की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके चलते सैकड़ों रहवासियों को घर छोड़ना पड़ सकता है। बुधवार को बड़ी संख्या में रहवासी विधायक के साथ कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे।

मामला कृष्णबाग सेक्टर सी के न्याय नगर का है। रहवासी अंकित तिवारी ने बताया कि प्रशासन की ओर से मकान और प्लॉट खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। सैकड़ों मकान यहां बने हैं। बताया जा रहा है श्रीराम बिल्डस के पक्ष में फैसला आया है, लेकिन जमीन विवाद के संबंध में रहवासियों कोई जानकारी नहीं दी गई। अंधेरे में रखकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं मामले में कलेक्टर ने बताया कि न्याय नगर गृह निर्माण संस्था और श्रीराम बिल्डर्स के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। फैसला रहवासियों के विरुद्ध हुआ है, ऐसी स्थिति में जो भी कार्रवाई की जा रही वो कोर्ट के आदेश अनुसार है। भविष्य में भी जो कार्रवाई होगी, कोर्ट आदेश पर ही होगी।

---

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटर महिन्द्रा बैंक लि., पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452001

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा 22-03-2024 को लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है''**, **''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा,अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओं) का नाम/ जमानतदार(रों) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	सुरक्षित बंधक का विवरण (अचल संपत्ति)	आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	अचल संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक
नकद ऋण सुविधा BBA_WC ऋण खाता संख्या 9811452381, 5915FL0100000003, 5915TL0100000067 और CRN संख्या 78089869। 1. मेसर्स एमएमबी जूट उद्योग अपने एकमात्र मालिक श्री प्रेम रतन बोथरा 23,24 मुराई मोहल्ला, छावनी ग्रेन हाउस फ्लैट संख्या 204-205, शीतल गजक इंदौर के सामने दूसरी मंजिल - 452001 (उधारकर्ता) भी यहां पर पता: फ्लैट संख्या 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001 2. श्री नवरत्न कुमार बोथरा पुत्र श्री मगन लाल बोथरा यहां पर पता: 165 विद्या नगर, सुखधाम अपार्टमेंट फ्लैट संख्या 102 सपना संगीता रोड के पीछे, इंदौर एमपी 452001 जी 3.श्रीमती प्रीति बोथरा पत्नी श्री प्रेम रतन बोथरा पता: फ्लैट नंबर 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001	डिमांड नोटिस दिनांक 10-08-2021, रु.3,36,23,824.45/- (तीन करोड़ छत्तीस लाख तेईस हजार आठ सौ चौबीस और पैंतालीस पैसे मात्र) 9/8/21	1. संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो औद्योगिक भूमि है, पटवारी हल्का नंबर 62 (पुराना नंबर 26) पर 1789.96 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) मापता है और राजस्व डायवर्टेड सर्वे नंबर 211/1 पाइक, ग्राम पालदा, वार्ड 75, इंदौर (म.प्र.) के पास की भूमि, सुधार के साथ पूर्व: सड़क पश्चिम: सड़क और भूमि नंबर आरएस नंबर 211/1 पाइक, उत्तर: सड़क और भूमि नंबर आरएस नंबर 211/3 पाइक, दक्षिण: सड़क और भूमि नंबर आरएस नंबर 311/1 और 311/2 2. संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो औद्योगिक भूमि है, पटवारी हल्का नंबर 62 (पुराना नंबर 26) पर 189.68 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) मापता है और राजस्व डायवर्टेड सर्वे नंबर 311/1 के पास की भूमि, सुधार पूर्व: अन्य फैक्ट्री पश्चिम: आरएस नंबर 311/1 और 311/2 की शेष भूमि उत्तर: आरएस नंबर 211/3 पैकी की भूमि दक्षिण: टाइल्स फैक्ट्री	रु. 6,11,77,500/- (छह करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार पांच सौ रुपए मात्र)	रु. 61,17,750/- (रुपये इकसठ लाख सत्रह हजार सात सौ पचास मात्र)	4/07/2024 11:00 hrs - 12:00 hrs **Date/ time of Auction** 16/07/2024 from 11:00 hrs to 12:00 hrs

बोली वृद्धि राशि 5,00,000/- ऑफर/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:- 15/07/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री मिथलेश कुमार मोबाइल नंबर**: 70808 04466 और **ई-मेल आईडी**: mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। दिल्ली में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल क्रेता/बोलीदाता को क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तारीख से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां जब्त हो जाएंगी; (7) सफल बोलीदाता पैन संख्या ADFHL7544N और AWFGH0875J (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा

सरफेसी अधिनियम के नियम 6 (2), 8 (6) **और** 9 (1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में , तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान: इंदौर (म.प्र.) दिनांक : 20.06.2024

हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन (म. प्र.)

निविदा सूचना क्र. 12 / सामान्य. / 2024-25 / **:: निविदा आमंत्रण सूचना ::** **सनावद, दिनांक: 18.06.2024**

(प्रथम आमंत्रण)

ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये आनलाईन निविदायें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	नि. आ. सू. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत यू. एस.आर. 01.09.2017 के आधार पर (रू.लाख में)	धरोहर की राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)	ठेकेदारों की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	12	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 0 कि.मी. से 41.250 कि.मी. के मध्य सिल्ट एवं झाड झाडिया, पेड एवं पत्थर इत्यादि निकालने का कार्य।	Rs. 376.94 लाख (रू. तीन सौ छिहत्तर लाख चौरानबे हजार मात्र)	Rs. 3.77 लाख (रू. तीन लाख सतहत्तर हजार मात्र)	Rs. 15,000.00 (रू. पन्द्रह हजार मात्र)	लोक निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत नवीन कोई भी श्रेणी।	12 माह (वर्षाकाल सहित)

1. निविदा कार्य के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : दिनांक 12.07.2024, 17:30 तक
2. धरोहर राशि एवं पूर्व अर्हता दस्तावेज वेब साईट पर खोलने की अनुमानित तिथि : दिनांक 18.07.2024, 10:30 से
3. मूल्य निविदा खोलने की अनुमानित तिथि : दिनांक 25.07.2024, 10:30 से

निविदा प्रपत्र केवल उपरोक्त वेबसाईट से निविदा मूल्य डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर क्रय किये जा सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी एवं संशोधन के लिये वेबसाईट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

मुख्य अभियंता,
इंदिरा सागर परियोजना (नहरे),
सनावद, जिला - खरगोन (म.प्र.)

जी-12072/24

IndusInd Bank

सी 201 दूसरी मंजिल बिजनेस स्केवर सॉलिटेयर
कार्पोरेट पार्क अंधेरी पूर्व, मुम्बई 400093

सार्वजनिक सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के यू/एस.13 (2) के नोटिस की एवजी सेवा और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन

नीचे बताए अनुसार उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से प्राप्त संपत्ति पर ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है, उनकी ऋण सुविधा को बैंक की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक इसके बाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत संबंधित उधारकर्ता/सह उधारकर्ता के तहत उक्त के अंतिम ज्ञात पते पर डिमांड नोटिस जारी किया है। इस प्रकार, उधारकर्ताओं से मांग करते हैं और उनसे संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, साथ ही नीचे उल्लिखित राशि और आकस्मिक खर्चों पर संविदात्मक दर पर आगे ब्याज के साथ, लागत, शुल्क आदि जैसा कि उक्त मांग नोटिस में कहा गया है। हालांकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से हमारे द्वारा सेवा भी की जा रही है:

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता/ओ का नाम और पता	ऋण खाता संख्या	एनपीए दिनांक	मांग पत्र दिनांक	नीचे की तारीख को कुल बकाया देय (रुपये)*	सुरक्षित आस्तियों/बंधक संपत्ति का विवरण
मेसर्स साई राम टैंकर सर्विस, इसके प्रोपराइटर श्रीमती चित्रा मिश्रा (उधारकर्ता), श्रीमती चित्रा मिश्रा पत्नी श्री मनोज मिश्रा, (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता), श्री मनोज मिश्रा पुत्र श्री एस.आई. मिश्रा (सह-उधारकर्ता) 121/ए, चिकित्सक नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इंदौर मध्य प्रदेश-452001 और साथ ही हाउस नंबर 121, पार्ट-बी, (पश्चिम भाग), चिकित्सक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001	700000 007057 & III00 773N	28th फरवरी 2024	21/05/2024	21-03-2024 तक INR 40,99,806.99 (INR चालीस लाख निन्यानबे हजार आठ सौ छह और निन्यानबे पैसे मात्र)	मकान क्रमांक 121, भाग-बी, (पश्चिम भाग), चिकित्सक नगर, ग्राम पिपल्याकुमार, इंदौर, मध्य प्रदेश का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका माप 92.93 वर्ग मीटर (लगभग 1000 वर्ग फीट) है, जो इस प्रकार घिरा हुआ है- पूर्व: प्लॉट क्रमांक 121 (भाग-ए) का शेष भाग पश्चिम: प्लॉट क्रमांक 122, उत्तर: सड़क दक्षिण: प्लॉट क्रमांक 134
मेसर्स महेश स्क्रीन आर्ट्स इसके प्रोपराइटर (उधारकर्ता), श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री महेश अग्रवाल, (सह-उधारकर्ता/स्वर्गीय श्री महेश अग्रवाल की कानूनी उत्तराधिकारी), सुश्री डिंपल अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री महेश अग्रवाल, (स्वर्गीय श्री महेश अग्रवाल की कानूनी उत्तराधिकारी) के माध्यम से मकान नंबर 2, गली नंबर 1, मुराई मोहल्ला, मथुरावाला स्वीट्स के पीछे, छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 और साथ ही 2/1, मुराई मोहल्ला, छावनी, इंदौर मध्य प्रदेश - 452001 और साथ ही मकान नंबर 2 (नया नंबर 66 और पुराना नंबर 34), मुराई मोहल्ला, छावनी (केन्टोनमेंट), गली नंबर 1, इंदौर, एमपी 452001 और साथ ही एच. नंबर 2/1, मुराई मोहल्ला, रोड गली नंबर 1, मथुरावाला स्वीट्स के पीछे, छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001	III00 911N	06th मार्च 2024	21/05/2024	10 अप्रैल 2024 तक INR 23,69,332.13/- (रुपये तेईस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ बत्तीस और तेरह पैसे मात्र),	संपत्ति 1- मुराई मोहल्ला, छावनी (केन्टोनमेंट), गली नंबर 1, इंदौर, एमपी में स्थित नगर निगम हाउस नंबर 2 (पुराना नंबर 34) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, 300 वर्ग फीट माप का, निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: गली, उत्तर: दादू बेली मास्टर का मकान दक्षिण: कमलाबाई मिश्रीलाल जी का मकान संपत्ति 2- मुराई मोहल्ला, छावनी (केन्टोनमेंट), गली नंबर 1, इंदौर, एमपी में स्थित नगर निगम हाउस नंबर 2 (नया नंबर 66 और पुराना नंबर 34) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, 287 वर्ग फीट माप का, निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्व: सड़क पश्चिम: गली, उत्तर: अजीज मोहम्मद का मकान दक्षिण: श्री बालकिशन नाथूलाल का मकान

हम एतद् द्वारा यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हैं, विशेष रूप से जारी की गई संबंधित मांग नोटिस में अधिक विशेष रूप से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज प्लस लागत, शुल्क, व्यय इत्यादि जिसे हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (एस) / अचल संपत्ति (एस) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए बाध्य करेंगे और जो उक्त के जोखिम पर पूरी तरह से सुरक्षित संपत्ति को कब्जा लेने और बेचने तक सीमित नहीं है।

उधारकर्ता(ओं)/सह उधारकर्ता(ओं)/कानूनी वारिस/कानूनी अधिकार(ओं) को अपनी लागत और परिणामों पर ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित आस्तियों की सहायता करना आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि आईबीएल की बकाया सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ आईबीएल को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय आईबीएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति को द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और आईबीएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 20.06.2024
स्थान : मध्यप्रदेश

हस्ते/-वास्ते इंडसइंड बैंक लिमिटेड
(अधिकृत अधिकारी)